



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940

No. 361]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गांधीनगर, 6 मई, 2018

फा. सं. 2-2(20)/2017-प्रशासन.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यकारी परिषद, कुलाध्यक्ष (माननीय राष्ट्रपति) के अनुमोदन पर, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधियों में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है.

(1) ये संविधियाँ गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधि, 2018 कहलाएँगी।

(2) शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के दिन से ये लागू होंगी।

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधियों के संविधि 10 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा/ जैसे कि:

10. विश्वविद्यालय कोर्ट

10. (1) संरचना: विश्वविद्यालय कोर्ट की संरचना निम्नानुसार होगी:

- (i) कुलाधिपति – सभाध्यक्ष
- (ii) कुलपति
- (iii) उप-कुलपति
- (iv) कुलसचिव – सदस्य सचिव
- (v) वित्त अधिकारी
- (vi) परीक्षा नियंत्रक
- (vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष

- (viii) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
- (ix) स्कूलों के अधिष्ठाता (वरिष्ठता आधारित आवर्तन द्वारा) – कुलपति द्वारा तीन लोग नामित होंगे
- (x) केन्द्रों के सभाध्यक्ष (अधिष्ठाताओं के अलावा), वरिष्ठता पर आवर्तन द्वारा – कुलपति के द्वारा तीन लोग नामित होंगे
- (xi) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (अधिष्ठाताओं एवं अध्यक्षों के अलावा), वरिष्ठता आधारित आवर्तन द्वारा – कुलपति के द्वारा तीन नामित होंगे
- (xii) विद्वान वृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए चार व्यक्ति – कुलाध्यक्ष के द्वारा नामित होंगे
- (xiii) उद्योग, श्रम, वाणिज्य, कृषि का प्रतिनिधित्व करते हुए चार व्यक्ति – कुलाध्यक्ष के द्वारा नामित होंगे
- (xiv) शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए – दो प्राध्यापक (एक सह प्रोफेसर एवं एक सहायक प्रोफेसर) – विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा, उनके बीच में से निर्वाचित
- (xv) छात्रों के प्रतिनिधि – छात्र परिषद द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से दो सदस्य निर्वाचित
- (xvi) शिक्षेतर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए – विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों द्वारा, उनके बीच में से दो निर्वाचित
- (xvii) पूर्व छात्र संघ के प्रतिनिधि – पूर्व छात्र संघ के सदस्यों द्वारा, उनके बीच में से दो निर्वाचित
- (xviii) कार्यकारी परिषद के नामित सदस्यों में से निर्वाचित एक नामित सदस्य
- (2) कोर्ट का कार्यकाल, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा।
- (3) ग्यारह (11) सदस्य कोर्ट की कोरम का निर्माण करेंगे।
- (4) कोर्ट की एक वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि को आयोजित होगी जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में कोर्ट के द्वारा कोई अन्य तिथि निर्धारित न की गयी हो।
- (5) कोर्ट की वार्षिक बैठक के समय, आय एवं व्यय का एक ब्यौरा, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट एवं आगामी वर्ष के लिए वित्तीय आंकलन सहित विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप पर पिछले वर्ष के दौरान की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- (6) खंड (5) में संदर्भित आय एवं व्यय का ब्यौरा, बैलेंस शीट एवं वित्तीय आंकलन की एक प्रतिलिपि, कोर्ट के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक बैठक की तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व भेजनी होगी।
- (7) कोर्ट की विशेष बैठक कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति द्वारा करवायी जा सकती है अथवा यदि कुलपति नहीं हो तो उप-कुलपति अथवा यदि उप-कुलपति नहीं हो तो कुलसचिव द्वारा संयोजित की जा सकती है।

अध्यादेश संख्या 24

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम

1. परिभाषाएँ- इन विनियमों में – बशर्ते विषय वस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा आवश्यक है –

- (ए) "पीडित महिला" से आशय है किसी भी आयु वर्ग की ऐसी महिला, चाहे वह रोजगार में हो या न हो, किसी कार्य स्थल में कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा किसी लैंगिक प्रताड़ना का शिकार बनी हो;

- (बी) "अधिनियम" से आशय है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14)
- (सी) "परिसर" से आशय उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं उसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्ष, स्टेडियम, पार्किंग स्थल, पार्क जैसे स्थल तथा कुछ अन्य सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक काउंटेर्स, इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के रूप में भ्रमण किया जाता हो- जिसमें वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने-जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों, जिनमें कोई व्यक्ति गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी अथवा छात्र के रूप में भाग ले रहा है- यह समस्त उस परिसर में शामिल है;
- (डी) "आवृत्त व्यक्तियों" से आशय उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करना – वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;
- (ई) "कर्मचारी" से आशय उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिष्ठापित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी (अथवा जो किसी अन्य नाम से भी जाने जाते हो), आंतरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयं सेवक, अध्यापन-सहायक, शोध-सहायक, चाहे वे रोजगार में हो अथवा नहीं, तथा जो क्षेत्रीय अध्ययन, परियोजनाओं, लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;
- (एफ) "कार्यकारी प्राधिकारी" से आशय है विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी;
- (जी) "आंतरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इंटरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटी) से आशय है इस विनियम के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित की जाने वाली आंतरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;
- (एच) बशर्ते, बाद में होने वाले मामलों में विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों से बाध्य होगा;
- (आई) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी ओर से अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है – जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की कार्रवाई में शामिल होना, किसी भी आंतरिक जांच पड़ताल अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न के कार्य में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमे में बतौर गवाह मौजूद रहना,

(जे) "लैंगिक उत्पीड़न" से आशय है-

(i) एक ऐसा अनचाहा आचरण, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप में लैंगिक भावनाएँ, जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत, नीचतायुक्त, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनों में निम्नलिखित अवांछित कार्य या व्यवहार में कोई भी एक या उससे अधिक या समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे या छिपे तौर से हो) नामतः-

- (अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक आचरण के अतिरिक्त कोई आचरण
- (ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना
- (स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना
- (द) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना
- (य) अश्लील साहित्य दिखाना

(ii) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं-

- (अ) लैंगिक समर्थन की एवज में छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वादा,
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर पर रूकावट डालने की धमकी,
- (स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देना,
- (द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करना,
- (य) ऐसा व्यवहार करना जो संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करता हो;

(आई) "छात्र" से आशय उस व्यक्ति से है जिसे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विधिवत् प्रवेश मिला हो, जो नियमित रूप से या दूरस्थ शिक्षा विधि से एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है, जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है;

बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है – यद्यपि उसे प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय का छात्र माना जाएगा

बशर्ते, एक ऐसा छात्र जो किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में नामांकित है एवं गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किसी गतिविधि में शामिल है और उस छात्र के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय का छात्र माना जाएगा;

- (के) "तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है-बल्कि गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एल) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिस में छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;
- (एम) "कार्यस्थल" का अर्थ है गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय का परिसर, जिसमें शामिल है-
- (अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व है या उससे नियंत्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान, जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए है।

2. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दायित्व - (1) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय-

- (ए) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं भी विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावनाओं को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करना तथा इन्हीं नियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;
- (बी) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करना;
- (सी) जैसा कि आवास की "सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम) रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुग्राही बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन्हीं नियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित कराना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;
- (डी) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अंतर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;
- (एफ) सभी स्तरों पर अपनी परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;
- (जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है - तथा इसके साथ ही हिंसा पूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इस इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;

- (एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थानों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नोटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दंड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा विश्वविद्यालय के सभी समुदायों के वर्गों को इस तंत्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तंत्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना;
- (आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;
- (जे) आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- (के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से गतिशील बनाना, चाहे वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो;
- (एल) अपने कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी लोगों को दंडित करना तथा विधि द्वारा माननीय कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अवरोध हेतु तंत्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;
- (एम) यदि उस दुराचार का षड्यंत्रकारी वहां का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;
- (एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्मक नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;
- (ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन्हीं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना जिनमें आंतरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;
- (पी) आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;
- (क्यू) एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

2.2 समर्थन करने वाले उपाय -

- (1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य किसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आंतरिक शिकायत केंद्र (आईसीसी) प्रकार्य करेगा, उन्हें अद्यत किया जाएगा तथा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा - क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढांचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाएगा।
- (2) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाएगा कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकार्य के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कंप्यूटर, फोटोकॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरण आदि) स्टॉफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवा) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आवंटन भी हो।

- (3) असुरक्षित/ दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं अलग रूप से सामर्थ्य द्वारा असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियाँ, जो इस प्रकार की असुरक्षाओं एवं विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनका गठन किया जाएगा।
- (4) शोध छात्र और डॉक्टरल छात्र विशेष रूप से आक्रांत होते हैं, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो।
- (5) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्धवार्षिक पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केंद्रों के रूप में जाना जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में निगमित करेगा।
- (7) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदंड होना चाहिए। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएं नियमित रूप से संचालित करेगा।
- (8) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में परामर्श सेवाओं की स्थापना की जाएगी और इसके लिए प्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होंगे।
- (9) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, मानव संरचना एवं रख-रखाव रखा जाएगा।
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से प्रदान किया जाएगा, जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हो, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए।
- (11) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के विस्तृत परिसरों के अंदर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान, जिन तक पहुंच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शाम के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबंध किया जाएगा;
- (12) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभावपूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे की आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्रों के लिए;
- (13) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होनी आदेशात्मक है। महिलाओं के विषय में इस प्रक्रिया में लिंग संवेदी डॉक्टर और नर्स तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

- (14) विश्वविद्यालय में महिला विकास प्रकोष्ठ को धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आंतरिक शिकायत समिति के प्रचार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही वे आंतरिक शिकायत केंद्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियां विस्तारित करेंगे जिनमें लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल है तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियां परिसरों में प्रचारित-प्रसारित करेंगे। 'सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' एवं 'औपचारिक अकादमिक स्थल' इन्हें परस्पर सहभागिता करेंगे ताकि यह कार्यशाला नवोन्मेषी आकर्षक बने एवं मशीनी ना हो।
- (15) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्य, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जवाबदेही के दायरे में यथा आवश्यक रूप से लाना चाहिए।

3. शिकायत समाधान तन्त्र-

- (1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी लैंगिक संवेदीकरण के लिए एक आंतरिक तंत्र सहित एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी. की निम्न संरचना होगी-
- (अ) एक पीठासीन अधिकारी, जो एक महिला संकाय सदस्य हो और एक वरिष्ठ पद पर (एक विद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह-प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न ना हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित हो;
- बशर्ते यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को उप अनुभाग 1(एम) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगा;
- बशर्ते यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियोक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है;
- (ब) दो संकाय सदस्य एवं गैर-अध्यापनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए;
- (स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों, जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर पर क्रमशः भर्ती किया जाएगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;
- (द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक अथवा किसी ऐसी सभा में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- (2) आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए;
- (3) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे सक्षम प्राधिकारी, रेक्टर, कुलसचिव डीन, अध्यक्ष आदि आंतरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे जिससे ऐसे केंद्र के प्रचार्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे;
- (4) आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करेगा जिसके द्वारा आंतरिक शिकायत केंद्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;

- (5) आंतरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए;
- (6) जिस स्थिति में आंतरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य यदि:-
- (अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लंबित है, अथवा
- (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया जाता है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, अथवा
- (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी सेवा में निरंतरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;

तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नए नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;

4. **आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):-** आंतरिक शिकायत समिति करेगी:-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
- (ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तंत्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सके, जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि ना हो तथा जिससे पूरी तरह से दंडात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण हो, जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;
- (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किए बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानांतरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लंबित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानांतरण का भी प्रावधान किया जाएगा;
- (द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
- (ई) किसी भी आवृत व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्यवाही पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

5. **शिकायत करने एवं जांच-पड़ताल की प्रक्रिया:-** आंतरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जांच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंतरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जांच-पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे;

6. **उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया:-** किसी भी असंतुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करें और यदि लगातार कई घटनाएं हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें;
- बशर्ते जहां ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहां अध्यक्ष अधिकारी अथवा आंतरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त संभव सहायता प्रदान करे;
7. जांच पड़ताल की प्रक्रिया:-
- (1) शिकायत मिलने पर आंतरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी;
 - (2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी इस शिकायत के बारे में अपना उत्तर, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नाम एवं पते सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा;
 - (3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जांच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि वे हों तो जांच पड़ताल रिपोर्ट उस जांच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जांच के तथ्यों या सिफारिशों के प्रति दी जाएगी;
 - (4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जांच के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई हो;
 - (5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों / अनुशंसाओं के विरुद्ध गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है;
 - (6) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी यदि आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आंतरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताने के नोटिस, जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है, उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी उस असंतुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही करेंगे;
 - (7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथास्थिति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय सुलह की प्रक्रिया को आंतरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलभ करवाएगा। यदि किसी भी दंडात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहां तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है;
8. पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जांच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा;

9. अंतरिम समाधान:-

सक्षम प्राधिकारी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय-

- (अ) यदि आंतरिक शिकायत केंद्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि संपर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जोखिम कम से कम बना रहे;
- (ब) पीड़ित पक्ष को, संपूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हितों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत कर दे;
- (स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई भी बात प्रकट नकरने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें;
- (द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दें;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए;

10. दंड एवं हर्जाना:-

- (1) अपराधकर्ता यदि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा;
- (2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय-
 - (अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों जैसे- पुस्तकालय, सभागार, आवासीय आगारों, यातायात, छात्रवृत्ति, भत्तों एवं पहचान पत्र आदि के अभिगम को रोक सकता है
 - (ब) एक विशेष समय के लिए परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;
 - (स) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावली से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी;
 - (द) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;
- (3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए विश्वविद्यालय निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा-
 - (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुंचा है;
 - (ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;
 - (स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;
 - (द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
 - (ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाही:-

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति यह निष्कर्ष निकलता है कि लगाए गए अभियोग असत्य थे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम 10 के उप विनियम (1) के तहत दंडित किए जाने के लिए बाध्य होगा। यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह विनियम 9 के उप विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत को जांच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जांच की जानी चाहिए।

अध्यादेश 26**निर्देशों का माध्यम तथा परीक्षाओं का आयोजन****विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड (सी)(जी) के तहत विनिर्दिष्ट**

1. (ए) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्कूलों, केन्द्रों एवं विभागों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्देशों का माध्यम, भाषा में अध्ययन / शोध को छोड़कर, अंग्रेजी होगा।
- (बी) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाषा की सीमा के कारण कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, विश्वविद्यालय राज्य में लागू होने वाली भाषा में निर्देश प्रदान कराना सुनिश्चित करेगा, बशर्ते कि उक्त भाषा में प्रवीण शिक्षक उपलब्ध हों।
2. विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, डाक्टरेट परीक्षाओं के अलावा, नियमित तथा योग्य विद्यार्थियों, जैसे वे विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति एवं क्रेडिट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में एक निश्चित अवधि के लिए अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम कर रहे हैं।
3. विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं (प्रवेश परीक्षाओं के अलावा) संबंधित संकाय सदस्यों के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से मुख्यालय (विश्वविद्यालय का स्थान) पर आयोजित की जाएगी। सत्रीय मूल्यांकन का प्रारूप व समयावधि तथा अंतिम-सत्रीय परीक्षाओं का प्रारूप व समयावधि स्कूल बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाएगी। बशर्ते, हालांकि एक स्कूल में विभिन्न केन्द्रों के लिए सभी अंतिम-सत्रीय परीक्षाएं सामान्यतः सेमेस्टर के भीतर आम तौर पर निर्धारित समय सीमा में आयोजित होगी।
 - (1) प्रवेश परीक्षा का प्रारूप संबंधित स्कूल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा वह स्कूल बोर्ड से अनुमोदित होगा। प्रवेश परीक्षा मुख्यालय पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एवं स्वीकृत किये गए अन्य स्थानों पर आयोजित की जाएगी।
 - (2) बशर्ते यह भी कि संबंधित केन्द्र का अध्यक्ष संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करने के लिए, प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक तैयार करेगा।

4. निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन रहते हुए सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में तैयार किये जाएंगे एवं उत्तरित होंगे -
 - (1) भाषा में सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में तैयार एवं उत्तरित होंगे।
 - (2) बशर्ते कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में एक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र का एक भाग अंग्रेजी में उत्तर देने तथा शेष भाग संबंधित भाषा में देने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन

i. ऑनलाइन परीक्षाएं -

1. अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय से कम से कम एक घण्टे पहले परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में बैठने के लिए प्रवेश करने से पूर्व संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र या अन्य फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है तथा केन्द्र प्रभारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मांग किये जाने पर वह प्रस्तुत करना होगा।

अन्य फोटो पहचान पत्र हैं-

(अ) पैन कार्ड

(ब) पासपोर्ट

(स) ड्राइविंग लाईसेंस

(द) मतदाता पहचान पत्र

3. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित फोटो पहचान पत्र लाने में विफल होता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षा तिथि को निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने पर, पर्यवेक्षक अभ्यर्थी के हॉल टिकट एवं पहचान प्रमाण की जाँच करेगा, उसके पश्चात् परीक्षा स्थल पर पहुँचने की अनुमति देगा।
5. अभ्यर्थी के पास पहचान से मेल नहीं होने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
6. केवल प्रामाणिक अभ्यर्थी को ही समय अवधि के दौरान परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त होगी।
7. मोबाईल सहित संबद्ध वस्तुएं, अभ्यर्थी की स्वयं के जोखिम पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखने होंगे। अभ्यर्थियों को कीमती सामान एवं अन्य उच्च मूल्य की कोई अन्य संबद्ध वस्तुएं (परीक्षा के लिए आते समय) साथ में नहीं लाने की सलाह दी जाती है तथा मद/ मर्दे, जो कि परीक्षा केन्द्र में लायी जाती है, के खो जाने अथवा चोरी हो जाने की घटना के मामले में परीक्षा केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
8. अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर/ प्रोग्राम के अभिगम की अनुमति नहीं है।
9. अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान पूर्ण शांति बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों के मध्य या बाहरी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में वार्तालाप करने की अनुमति नहीं है तथा इसे कदाचार माना जाएगा।
10. अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान केवल माउस के प्रयोग की अनुमति है।
11. अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र डाउनलोड तथा / या प्रिंट निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे अनुचित साधनों का प्रयोग करना माना जाएगा।

12. अभ्यर्थियों को परीक्षा में किसी अन्य का प्रतिरूपण नहीं करना चाहिए या किसी अन्य को उसका प्रतिरूपण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
13. किसी अभ्यर्थी के, परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन के प्रयोग सहित अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अथवा किसी दोषी सामग्री के साथ पाये जाने पर वह परीक्षा हॉल से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।
14. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में धूम्रपान करने या खाने की अनुमति नहीं है।
15. परीक्षा के दौरान रफ़ कार्य करने के लिए अभ्यर्थी को रफ़ शीट (यदि आवश्यक हो) प्रदान की जाएगी। यह शीट परीक्षा स्थल छोड़ने से पूर्व पर्यवेक्षक को लौटानी आवश्यक होगी।
16. किसी भी अभ्यर्थी को, जब तक परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एक घण्टे की समाप्ति नहीं हो जाती, परीक्षा हॉल / कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. अभ्यर्थी को एक बार परीक्षा के लिए बैठ जाने पर उसे शौचालय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए परीक्षा हॉल को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
18. अभ्यर्थियों को अपने पैन्, पेंसिल एवं गणितीय तालिका, जैसा भी आवश्यक व लागू हो, लानी चाहिए।
19. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में उनके स्वयं की बैटरी संचालित गैर-प्रोग्राम कैलकुलेटर लाने की अनुमति होगी।
20. अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ उल्लेखित किसी भी निर्देशों का पालन करने में विफल होने अथवा उसकी परीक्षा जारी रखने के दौरान किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर वह परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य दण्ड जो कि के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के लिए उत्तरदायी होगा।
21. परीक्षा हॉल के कम्प्यूटर पर कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
22. अभ्यर्थियों को प्रत्येक दिवस और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें वह शामिल हो रहा/ रही है, उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये बिना परीक्षा हॉल नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में निरस्तीकरण के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
23. वे अभ्यर्थी, जो परीक्षा हॉल में उनको आवंटित की गयी शीट अथवा कोई अन्य दस्तावेज बदलते हैं, तो उनकी उत्तर पुस्तिका निरस्त किए जाने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
24. कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की पुस्तक, पेपर, नोट्स आदि लाने (उसके प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं परीक्षा समय सारणी के अलावा) अथवा परीक्षा में किसी अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर वह केन्द्र प्रभारी के द्वारा कक्ष से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा ऐसा मामला आगे की कार्रवाई जो कि समिति आवश्यक समझे, के लिए सचिव, परीक्षा समिति को सूचित किया जाएगा।
25. पेजर, मोबाईल फोन, डिजीटल डायरी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं उपकरणों को किसी भी रूप में अपने पास रखना एवं प्रयोग में लेना सख्त तौर पर निषिद्ध है। कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान उपरोक्त गैजेट को अपने पास रखने में पाया जाता है, तो अनुच्छेद "परीक्षा में अनुचित साधनों का सहारा लेना" के तहत उसका निपटारा किया जाएगा तथा संस्थान के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द करने के लिए, वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
26. संस्थान द्वारा दिये गए निर्दिष्ट पृष्ठों पर ही रफ़ कार्य करना होगा। अभ्यर्थी को रफ़ कार्य के लिए दिये गए पृष्ठ पर अपना रोल नम्बर लिखना चाहिए।
27. परीक्षा के आयोजन के संबंध में, केन्द्र प्रभारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा।

28. परीक्षा परीणामों के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेना या उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा तथा परीक्षा के आयोजन के लिए अधीकृत किसी व्यक्ति की सूचना पर कोई भी अभ्यर्थी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज उसका नाम हटाने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उक्त समिति, जो उचित समझे, उस तरह से भी उसका निपटारा कर सकती है।

केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से बहिष्कृत/ अयोग्य घोषित किया जा सकता है:

1. व्यवधान पैदा करना।
2. प्रतिरूपण - किसी अन्य के लिए परीक्षा देने का प्रयास करना।
3. परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की सहायता देना अथवा लेना एवं अभ्यर्थियों अथवा बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी भी रूप में संपर्क करना।
4. परीक्षा हॉल में धूम्रपान या कुछ खाना।
5. कम्प्यूटर संचालन के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना या उसकी प्रणाली के साथ दखलंदाजी करना।
6. कम्प्यूटर पर कैलकुलेटर के प्रयोग का प्रयास करना।
7. अन्य अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रश्न-पत्र, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री का लेन-देन करना।
8. पर्यवेक्षक की बिना अनुमति के परीक्षा केन्द्र छोड़ना।
9. निषिद्ध सहायक सामग्री, वे मदें, जिनकी अनुमति नहीं है, का प्रयोग करना, जो कि हैं-
मोबाईल, पेजर, कागज के भाग (उसके प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं परीक्षा कार्यक्रम के अलावा), डिजिटल डायरी, अन्य कोई इलैक्ट्रॉनिक यंत्र / उपकरण, घड़ी अलार्म, सुनने के उपकरण और रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफिक उपकरण।
10. परीक्षा केन्द्र से परीक्षा का प्रश्न-पत्र और/ अथवा परीक्षा के उत्तर पत्र (किसी भी प्रारूप में) की प्रतिलिपि करने का प्रयास करना।
11. परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर/ प्रोग्राम के अभिगमन का प्रयास।
12. पर्यवेक्षक के निर्देशों का अनुसरण नहीं करना।
13. पर्यवेक्षकों या परीक्षा केन्द्र के स्टाफ के विरुद्ध होना।
14. परीक्षा परीणामों के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेना या उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा तथा परीक्षा के आयोजन के लिए अधीकृत किसी व्यक्ति की सूचना पर कोई भी अभ्यर्थी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज उसका नाम हटाने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उक्त समिति, जो उचित समझे, उस तरह से भी उसका निपटारा कर सकती है।

अभ्यर्थी, जो बहिष्कृत एवं स्वीकृत किया गया है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गयी एक अवधि के लिए परीक्षा से बहिष्कार होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

केन्द्र प्रभारी, अभ्यर्थियों के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र से निकालने के लिए अधिकृत है।

ii. **ऑनलाइन परीक्षाएं -**

1. अंतिम सत्रीय परीक्षा का कार्यक्रम परीक्षाओं के प्रारंभ होने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्व विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
2. अधिष्ठाता/ अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अंतिम सत्रीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो स्वयं के स्कूल / केन्द्र के पाठ्यक्रमों की सभी परीक्षाओं के लिए स्कूल / केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा। वह संकाय सदस्यों में से पर्यवेक्षण कर्तव्यों के लिए व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
3. पेपर सेटर स्कूल बोर्ड / केन्द्र निकाय के द्वारा स्वीकृत व निर्धारित प्रारूप में अंतिम सत्रीय परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र बनाएगा तथा अंतिम सत्रीय परीक्षाओं के प्रारंभ होने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रश्न-पत्र को गोपनीय रूप से चिन्हित कर मोहरबंद आवरण में परीक्षा नियंत्रक को जमा करवाएगा।
4. प्रत्येक परीक्षक द्वारा परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षाओं की तिथि के एक सप्ताह के भीतर मूल्यांकन करना आवश्यक होगा तथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में एक वर्ष की अवधि तक ही रखनी होगी, उसके पश्चात् रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा।
5. संबंधित केन्द्र का अधिष्ठाता / अध्यक्ष सत्रीय मूल्यांकन तथा केन्द्र / स्कूल द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम की अंतिम अवधि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रदत्त अंकों / ग्रेड की समेकित सूची परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेगा।
6. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा सारणीबद्ध किया गया अंतिम परीक्षाओं का परिणाम, केन्द्र अध्यक्ष तथा संबंधित केन्द्र के अध्यक्ष की अनुशंसा पर अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त अधिकतम तीन संकाय सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति द्वारा जाँच किया जाएगा तथा उसके बाद स्कूल के अधिष्ठाता से अनुमोदित किया जाएगा तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पुनः भेजा जाएगा।
7. एक दस सेमेस्टर कार्यक्रम के छठवें एवं दसवें सेमेस्टर के अंत में अथवा चार सेमेस्टर कार्यक्रम के चौथे सेमेस्टर के अंत में, जैसे बी.ए. (ऑनर्स) एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए, स्कूल के अधिष्ठाता एवं संबंधित केन्द्रों के अध्यक्ष से मिलकर सदस्यों के रूप में बनी स्कूल की एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसकी घोषणा करने से पूर्व वह कुलपति द्वारा अनुमोदित होगा।
8. एक विद्यार्थी एक विशेष सेमेस्टर में परिणामों की घोषणा के सात कार्य दिवसों के भीतर एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की स्वयं की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर सकता है। ऐसा पुनर्मूल्यांकन अधिष्ठाता/ अध्यक्षों की अनुशंसा पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।
9. हालांकि, ऐसे मामलों में, जहाँ द्वितीय परीक्षक के अंक, प्रथम परीक्षक से उस विशेष पाठ्यक्रम को आवंटित कुल मूल्यांकित अंकों से 20% तक विचलित होते हैं, तो परीक्षा नियंत्रक उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन के लिए तृतीय परीक्षक को प्रेषित करेगा। आगे, ऐसे मामलों में, सभी तीन परीक्षकों द्वारा प्रदान किये गए अंकों के आधार पर एक औसत अंक की गणना की जाएगी।
बशर्ते, कोई विद्यार्थी, जिसने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, ऐसे पुनर्मूल्यांकन के लिए प्राप्त अंक, एसजीपीए एवं सीजीपीए की गणना के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।
बशर्ते कि ऐसे पुनर्मूल्यांकन की मांग एक सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के सामान्य भार के 50% से अधिक नहीं की जानी चाहिए।
10. किसी विद्यार्थी के मामले में, जो चिकित्सा कारणों से अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत (दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा समर्थित) एक पाठ्यक्रम के सत्रीय मूल्यांकन के किसी घटक में उपस्थित नहीं हो

पाया था, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित केन्द्र द्वारा उस घटक में एक पृथक परीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।

11. कुछ विशेष मामलों में स्कूल का अधिष्ठाता/ केन्द्र अध्यक्ष, ऐसे विद्यार्थी की पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए विशेष उपाय कर सकता है, जो अपरिहार्य कारणों, जैसे चिकित्सा या अन्य समान अनिवार्यताओं के कारण अंतिम अवधि की परीक्षा में बैठने में सफल नहीं रहता है। ऐसी पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्णय, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से विचार-विमर्श कर व्यक्तिगत मामले की योग्यता के आधार पर लिये जाएंगे। ऐसे मामलों में वैध दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित विशेष समिति द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए।
12. वे विद्यार्थी, जो एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण घोषित किये गए हैं, उन्हें अपने ग्रेड/ सीजीपीए में सुधार करने लिए अनुरूप सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थियों के साथ, किसी पाठ्यक्रम को दोहराने की अनुमति प्राप्त होगी, ऐसे विद्यार्थियों के लिए किसी भी पृथक परीक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
13. यदि कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रमों के न्यूनतम **50%** पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होता है तथा "जारी रखने की अनुमति" होती है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त उपस्थिति के, अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं में नियमित विद्यार्थियों के साथ, पूर्ववर्ती सेमेस्टर को दोहराने के लिए अनुमति प्राप्त होगी। ऐसे आवृत्ति पाठ्यक्रम के सत्रीय मूल्यांकन के प्रयोज्य अंक ऐसे मामले में आगे ले जाए जाएंगे।
14. यदि कोई विद्यार्थी ग्रेड/ अंकों में सुधार के लिए कोई पाठ्यक्रम दोहराता है तो तो संशोधित अवार्ड की गणना करने के लिए पुनर्मूल्यांकित ग्रेड / अंकों को ध्यान में रखा जाएगा तथा पहले जारी की गयी अक-तालिका के समर्पण पर उसे एक संशोधित अंक-तालिका जारी की जाएगी। ऐसे संशोधित अंक पुरस्कार/ मैडल प्रदान करने के लिए नहीं गिने जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी ग्रेड/ अंकों में सुधार नहीं कर पाता है, तो उसकी पिछले ग्रेड/ अंक ध्यान में रखे जाएंगे।
15. विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति को आयोजन के लिए परीक्षा अवधि के पहले अथवा उसके दौरान वापस लिया जा सकता है, जो कि कुलपति की राय में, अभ्यर्थी के बहिष्कार को सही ठहराता है।
16. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए किसी भी कारण विश्वविद्यालय को भुगतान करने का ऋणी होता है तथा उक्त राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, अथवा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी पुस्तक, सामग्री या अन्य संपत्ति तथा एसीसी/एनएसएस/खेल विभाग द्वारा वितरित किये गए किसी किट को उधार लेता है या अपने अधिकार में रखता है और उसे वापस लौटाने में विफल रहता है तो कुलपति द्वारा, उस अभ्यर्थी के द्वारा ऐसी पूर्ण राशि के भुगतान अथवा ऐसी संपत्ति की वापसी तक, उसके परिणाम को रोका जा सकता है या रोकने के लिए किसी को अधिकृत किया जा सकता है।
17. इन नियमों में कुछ भी स्पष्ट या निहित होने के बावजूद, कुलपति ऐसी कार्रवाई, जो वह उचित समझे, के पश्चात् संतुष्ट होने पर किसी अभ्यर्थी के एक पाठ्यक्रम के अंतिम परिणाम को प्रकाशित होने से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव से रोक सकता है, वह ऐसे अभ्यर्थी को उस पाठ्यक्रम को करने या उस संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर एक विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा यदि उक्त अंतिम परिणाम के प्रकाशन के 04 माह के भीतर, यदि उसके संज्ञान में आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रद्द कर सकता है, जो है-

- (1) अभ्यर्थी, जो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य था, लेकिन उसे गलती से प्रवेश दे दिया गया है, या

- (2) अभ्यर्थी उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य था, लेकिन उसे कुछ गलतियों के कारण या कुछ अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुमति दी गयी थी, या
- (3) उपस्थिति रिकॉर्ड में विसंगति पाए जाने पर, जिसके कारण अभ्यर्थी, जो परीक्षा दे चुका था, वह वास्तव में अयोग्य था, या
- (4) अंक आदि प्रदान करने में विसंगतियों का पता चलना, जो कि अभ्यर्थी के परिणाम को रद्द करने के लिए, उसकी हानि करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) अन्य कोई आधार, जो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य बनाता हो।

बशर्ते, कुलपति द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का मौका दिये बिना कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा बशर्ते यह भी कि ऐसे कार्रवाई की पुष्टि के लिए उसे अकादमिक परिषद को प्रेषित किया जाना चाहिए।

18. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं परीक्षा में अव्यवस्थित आचरण-

परीक्षा में कपट अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित है-

- (1) परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी की किसी भी तरीके से, जो भी हो, प्रश्न पत्र के उत्तर में सहायता करना।
- (2) परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के उत्तर में किसी अन्य अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति या किसी पुस्तक, कागज, नोट्स या अन्य सामग्री से सहायता लेना,
- (3) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लेने की संभावना से कोई पुस्तक, कागज, नोट्स या अन्य सामग्री, जो भी हो, परीक्षा कक्ष में लेकर आना।
- (4) एक उत्तर पुस्तिका या विस्तार पत्र की तस्करी करना
- (5) एक उत्तर पुस्तिका या इसका कोई पृष्ठ या एक विस्तार पत्र बाहर ले जाना या बाहर भेजने की व्यवस्था करना।
- (6) परीक्षा के दौरान या उसके पश्चात् एक उत्तर पुस्तिका या इसका कोई पृष्ठ या एक विस्तार पर बदलना या बदलवाना।
- (7) परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपित होना।
- (8) किसी की पहचान को जानबूझकर प्रकट करना या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट चिन्ह बनाना,
- (9) परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में या उसके आस-पास किसी अन्य अभ्यर्थी या अनाधिकृत व्यक्ति से संपर्क या बातचीत करना।
- (10) एक परीक्षक के साथ अंकों के अवार्ड में प्रभाव के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी संबंधि, अभिभावक और मित्र के माध्यम से संपर्क करना या संपर्क करने का प्रयास करना।

परीक्षा में अव्यवस्थित आचरण में शामिल है-

- (1) अधीक्षक, कार्य पर मौजूद पर्यवेक्षक, या परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत अन्य स्टाफ या किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ परीक्षा सत्र से पहले, दौरान या उसके पश्चात् परीक्षा केन्द्र के भीतर या आस-पास परीक्षा के संबंध में दुर्व्यवहार करना।

- (2) तय सीमा की समाप्ति से पूर्व, पर्यवेक्षक प्रभारी को उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना या उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये बिना परीक्षा कक्ष छोड़कर चले जाना।
 - (3) उत्तर पुस्तिका या उसके एक भाग या विस्तार पत्र को जानबूझ कर फाड़ना।
 - (4) परीक्षा में अशांति करना या उसमें बाधा डालना।
 - (5) अन्य को परीक्षा कक्ष छोड़ने के लिए जोर डालना या परीक्षा को अशांत या बाधित करना।
 - (6) परीक्षा केन्द्र में कोई आपराधिक हथियार लेकर आना।
- 19.** कोई अभ्यर्थी परीक्षा में कपट या अनुचित साधनों का प्रयोग या व्यग्र आचरण में शामिल नहीं होगा। कार्यरत परीक्षा स्टाफ के द्वारा कोई दोषी सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी अपनी किसी परिचित की खोज करने के अधीन हो सकता है।
- 20.** कोई अभ्यर्थी परीक्षा में कपट या अनुचित साधनों के प्रयोग अथवा व्यग्र आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य हो सकता है, जिसके लिए वह एक अभ्यर्थी था, तथा साथ ही एक अन्य अवधि के लिए विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं में बैठने से बहिष्कृत होगा या विश्वविद्यालय से निष्कासित होगा तथा विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में बैठने के लिए योग्य एवं उचित व्यक्ति घोषित नहीं किया जाएगा।
- 21.** विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी मूल्यांकन की प्रक्रिया के किसी भी पहलू में अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल होना पाया जाता है, तो वह स्थाई समिति के द्वारा निर्धारित अनुचित साधनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा अधीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी, जो कि अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल है, का ऐसा मामला लिखित में परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेगा। रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट में प्रकरण का पूर्ण ब्यौरा देगा तथा कोई दोषी सामग्री के वहाँ पाये जाने के कथन के साथ रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा।
- 22.** अनुचित साधनों पर स्थाई समिति विद्यार्थी को दोषी ठहराने से पूर्व दोष में शामिल विद्यार्थी को उसकी बेगुनाही साबित करने का निष्पक्ष एवं उचित अवसर प्रदान करेगी।
- 23.** प्रोक्टर की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त समिति ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकृत होगी।
- 24.** समिति द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध एक व्यथित विद्यार्थी संबंधित विद्यार्थी पर ऐसे कार्रवाई के **30** दिन के भीतर कुलपति को एक अपील देने का अधिकारी होगा। उक्त मामले में कुलपति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 25.** यदि परिणामों के प्रकाशन के चार माह के भीतर, परीक्षा नियंत्रक के संज्ञान में यह लाया जाता है कि एक अभ्यर्थी परीक्षा, जिसके संबंध में उसका परिणाम घोषित हुआ था, में कपट या अनुचित साधनों के प्रयोग में दोषी पाया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी के मामले में इस अध्यादेश के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे, बशर्ते उसके परिणाम को रद्द करने के दण्ड के साथ अन्य कोई दण्ड लगाने से पूर्व उसे प्रस्तावित सजा के विरुद्ध कारण बताने का एक और अवसर दिया जाएगा तथा उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, अकादमिक परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।
- iii. ग्रेड्स प्रदान करना -**
- एसजीपीए एवं सीजीपीए की गणना**
- (1)** एसजीपीए एक विद्यार्थी द्वारा किये गये सभी पाठ्यक्रमों में उसे प्राप्त ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या के उत्पाद के योग एवं विद्यार्थी द्वारा किये गये सभी पाठ्यक्रमों की क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है।

$$(जी1 \times सी1) + (जी2 \times सी2) + \dots$$

एसजीपीए= कोर्सेज के कुल क्रेडिट की संख्या, जिसके लिए विद्यार्थी एक सेमेस्टर में पंजीकृत हुआ है

जहां **Ci** पाठ्यक्रम की क्रेडिट की संख्या और **Gi** विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड अंक है।

- (2) सीजीपीए की गणना भी एक कार्यक्रम के सभी सेमेस्टर पर एक विद्यार्थी द्वारा किये गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर की जाती है, जैसे

$$(जी1 \times सी1) + (जी2 \times सी2) + \dots$$

सीजीपीए= कोर्सेज के कुल क्रेडिट की संख्या, जिसके लिए विद्यार्थी एक सेमेस्टर में पंजीकृत हुआ है तथा जिसके लिए संचयी सूचकांक आवश्यक है

जहां **Si** सेमेस्टर की एसजीपीए की संख्या तथा **Ci** उस सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या है

- (3) एसजीपीए एवं सीजीपीए **02** दशमलव बिंदू से पूर्णांक किया जाएगा एवं प्रतिलेख में दर्ज किया जाएगा।

iv ग्रेडिंग प्रणाली

विद्यार्थी को प्रत्येक पाठ्यक्रम में **10** सूत्री पैमाने पर ग्रेड दी जाएगी, जो है-

ग्रेड	ग्रेड अंक	प्रतिशतता श्रेणी
ओ (उत्कृष्ट)	10	≥ 80.00
ए+ (उत्तम)	9	70.00 - 79.99
ए (बहुत अच्छा)	8	60.00 - 69.99
बी+ (अच्छा)	7	55.00 - 59.99
बी (औसत से ऊपर)	6	50.00 - 54.99
सी (औसत)	5	45.00 - 49.99
पी (उत्तीर्ण)	4	40.00 - 44.99
डी (प्रोन्नत)	3	30.00 - 39.99
एफ (अनुत्तीर्ण)	0	< 30.00
एबी (अनुपस्थित)	-	-

नोट:

- एसजीपीए/ सीजीपीए/ एफजीपीए में पूर्णांक नहीं होगा।
- एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त एसजीपीए/ सीजीपीए/ एफजीपीए अधिकतम संभावित **10** अंकों में से है।

अध्यादेश संख्या 27**अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, पदक एवं पुरस्कार का अवॉर्ड**

(अधिनियम के खण्ड 6(1) (xii) एवं खण्ड 28(1)(एफ))

1. विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय दबाव के अध्ययन एवं शोध करने हेतु, मेधावी एवं योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के क्रम में विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, पर्याप्त मात्रा में छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, स्टूडेंटशिप एवं निःशुल्कता के साथ साथ पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में दी जाने वाली छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय में निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगी। छात्रवृत्ति दिये जाने से संबंधित नियम, विनियमों के द्वारा निर्धारित होंगे।
3. प्रत्येक स्कूल एवं केन्द्र में शिक्षण शुल्क में आधी एवं पूर्ण रियायत यूजीसी के मानदंडों के अनुसार होगी।
4. विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी धारकों को मेरिट छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी होगा, जो विश्वविद्यालय में निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, छात्रवृत्ति की राशि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा।
5. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं निःशुल्कताएं विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रशासित होगी।
6. विश्वविद्यालय में अध्ययन या शोध के लिए दी जाने वाली अध्येतावृत्ति, निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर यूजीसी या अन्य वित्त पोषित एजेंसी के द्वारा जारी नियमों के तहत अनुमोदित होगी।
7. विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में उनके उत्तम प्रदर्शन के लिए पदक / पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था होगी।
8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विश्वविद्यालय समय समय पर अक्षय निधि आरंभ करेगा।
9. प्रत्येक अक्षय निधि के प्रबंधन एवं उक्त अक्षय निधि के उद्देश्य को लागू करने के लिए भी कुलपति द्वारा गठित एक समिति होगी।
10. कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति, निःशुल्कता, अध्येतावृत्ति, पदक एवं अन्य अक्षय निधियों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

प्रो. आलोक कुमार गुप्त, कुलसचिव कार्याकारी

[F. No. ADVT.-III/4/असा./237/18]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 6th May, 2018

F.No. 2-2(20)/2017-Admn.—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Central University of Gujarat Statutes.

- (1) These Statutes may be called as the Central University of Gujarat (Amendment) Statutes, 2018.
- (2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Central University of Gujarat Statutes, in Statute 10, following shall be substituted, namely.

10. University Court

10 (1) Composition: The composition of the University Court shall be as follows:

- (i) Chancellor - Chairman
 - (ii) Vice Chancellor
 - (iii) Pro-Vice Chancellor
 - (iv) Registrar – Member Secretary
 - (v) Finance Officer
 - (vi) Controller of Examinations
 - (vii) University Librarian
 - (viii) Dean of Students' Welfare
 - (ix) Deans of Schools (by rotation on seniority) – Three to be nominated by Vice Chancellor
 - (x) Chairpersons of Centres (Other than Deans), by rotation on seniority – Three to be nominated by Vice Chancellor
 - (xi) Professors of the University (other than Deans & Chairpersons), by rotation on seniority – Three to be nominated by Vice Chancellor
 - (xii) Four persons representing learned professions – to be nominated by the Visitor
 - (xiii) Four persons representing Industry, Labour, Commerce, Agriculture – to be nominated by the Visitor
 - (xiv) Representatives of the teaching employees – Two (one Associate Professor and one Assistant Professor) – to be elected by regular teachers of the University, from amongst themselves
 - (xv) Representative of Students – Two to be elected by the Students' Council from among its members
 - (xvi) Representatives of the Non-Teaching employees – Two – to be elected by regular employees of the University, from amongst themselves
 - (xvii) Representatives of the Alumni Association – Two to be elected by the members of the Alumni Association from among themselves.
 - (xviii) One nominated member of Executive Council elected from among the nominated members.
- (2) The term of Office of the Court shall be for three years from the date of Notification.
 - (3) Eleven (11) members shall constitute the quorum of the Court.
 - (4) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year.
 - (5) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipt and expenditure, the balance-sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.
 - (6) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance-sheet and the financial estimates referred to in clause (5) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.
 - (7) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice-Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there is no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.

Ordinance No.24**Central University of Gujarat (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulation,**

1. **Definitions.** – In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “aggrieved woman” means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subject to any act of sexual harassment by the respondent;
- (b) ‘Act’ means the Sexual Harassment of Women at Workplace (prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
- (c) “campus” means the location or the land on which a Central University of Gujarat and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, students centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, park-like setting and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope place visited as a student of the Central University of Gujarat including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the Central University of Gujarat.
- (d) “covered individuals” are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (e) “employee” means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (f) “Executive authority” means the Competent Authority of the University.
- (g) “Internal Complaints Committee” (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by Central University of Gujarat under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. The existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) is now reconstituted as the ICC;
- (h) Provided that in the latter case the Central University of Gujarat shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (i) “protected activity” includes reasonable opposition to a believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (j) “Sexual harassment” means –
 - (i) “An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely: -
 - (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
 - (b) demand or request for sexual favours;
 - (c) making sexually coloured remarks
 - (d) physical contact and advances; or

- (e) showing pornography”
- (ii) any one (or more than one or all of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
 - (b) implied or explicit threat of detriment in the conduct of work;
 - (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
 - (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
 - (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;
- (i) “Students” means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a Central University of Gujarat.

Provided that a student who is in the process of taking admission in Central University of Gujarat campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that Central University of Gujarat, where any incident of sexual harassment takes place against such student;

Provided that a student who is a participant in any of the activities in a Central University of Gujarat other than the Central University of Gujarat where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that Central University of Gujarat where any incident of sexual harassment takes place against such student;

- (k) “third Party Harassment” refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsiders, who is not an employee or a student of the Central University of Gujarat but a visitor to the Central University of Gujarat some other capacity or for some other orreason;
- (l) “victimisation” means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;
- (m) “workplace” means the campus of a Central University of Gujarat including –
- a. Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central University of Gujarat;
 - b. Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in Central University of Gujarat;
 - c. Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in Central University of Gujarat;

2. Responsibilities of Central University of Gujarat – (1) Central University of Gujarat shall

- a. Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;
- b. Publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure Central University of Gujarat wide dissemination;
- c. Organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize

them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;

- d. Act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
- e. Publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
- f. Reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
- g. Create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
- h. Include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedures and so on.
- i. Inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- j. Organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- k. Proactively move to curb all forms harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within Central University of Gujarat or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the Central University of Gujarat.
- l. Be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- m. Treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- n. Treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- o. Ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- p. Monitor the timely submission of reports by the ICC;
- q. prepare an annual status report with details on the number of cases field and Central University of Gujarat disposal and submit the same to the Commission.

2.2 Supportive measures –

1. The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function Central University of Gujarat will be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within the Act is to be implemented.
2. The Competent Authority of Central University of Gujarat will extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources will be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff typist, counselling and legal services as well as a sufficient allocation of financial resources.
3. Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority

identity and by being differently abled. Enabling committees which are sensitive to such vulnerabilities and special needs will be constituted.

4. Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable Central University of Gujarat will ensure that the guidelines for Research Supervision are put in place.
5. Central University of Gujarat will conduct a regular half yearly review of the efficacy and implementation of Central University of Gujarat anti-sexual harassment policy.
6. Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCS) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBS), would incorporate sessions on gender in their orientation and refresher course.
7. Orientation course for administrators conducted in Central University of Gujarat would have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections Central University of Gujarat.
8. Counselling services will be established in Central University of Gujarat community with well-trained full-time counsellors.
9. Central University of Gujarat will ensure adequate lighting through out its buildings and campus.
10. Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff will be provided. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.
11. Central University of Gujarat would ensure reliable public transport, especially within large campus between different sections of the Central University of Gujarat hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars.
12. Concern for the safety of women students would not result in imposing discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.
13. Adequate health facilities are equally mandatory for all Central University of Gujarat. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurse , as well as the service of a gynaecologist.
14. The Women's Development cells in University shall be funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti-sexual harassment committee and ICCs. At the same time, they shall extend their activities to include gender sensitization programme in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'Cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render workshops innovative, engaging and non-mechanical would be provided.
15. Hostel Wardens, Provost, Principals, Competent Authority, Legal Officers and other functionaries will brought within the domain of accountability through amendments in the rules or Ordinances where necessary.

3. Grievance redressal mechanism-----

- (1) The Component Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual Harassment. The ICC shall have the following composition: -

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive council;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other officers or administrative units of the workshop referred to in sub-section 2(0);

Provided further that in case the other office or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workshop of the same employer or other department or organization.

- (b) Two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Competent Authority;
 - (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
 - (d) One member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
2. At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
 3. Persons in senior administrative positions in Central University of Gujarat, such as Competent Authority, Rectors, Registrar, Deans, Chairpersons, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
 4. The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. CUG will employ a system whereby one-third of the members of the ICC changes every year.
 5. The member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee by the Competent Authority as may be prescribed.
 6. Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
 - a) contravenes the provisions of section 16 of the Act: or
 - b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him: or
 - c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him: or
 - d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

Such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.”

4. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC)- The Internal Complaints Committee shall:

- a) Provide assistance if an employee or a student choose to file a complaint with the police;
 - b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complaint's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
 - c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of offender;
 - d) ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
 - e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.
- 5. The process for making complaint and conducting Inquiry –** The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a

time bound manner. The University will provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy.

- 6. Process of making complaint of sexual harassment** – An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing;

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental incapacity or death.

7. Process of conducting Inquiry –

1. The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.
2. Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witness within a period of ten days.
3. The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendation, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Competent Authority of Central University of Gujarat. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.
4. The Competent Authority of the Central University of Gujarat shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.
5. An appeal against the findings or recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the Central University of Gujarat within a period of thirty days from the date of the recommendations.
6. If the Competent Authority of the Central University of Gujarat decides not to act as per the recommendations of the ICC then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the Central University of Gujarat shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.
7. The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. Central University of Gujarat shall facilitate a conciliation process through ICC, as the case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.
8. The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.
9. Interim redressal – The Competent Authority Central University of Gujarat
 - a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimize the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
 - b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
 - c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
 - d) ensure that offenders are wanted to keep a distance from the aggrieved, and where necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
 - e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. Punishment and compensation: -

1. Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the Central University of Gujarat, if the offender is an employee.
 2. Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the Competent Authority may, -
 - a. withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - b. suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - c. expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - d. award reformatory punishments like mandatory counselling and, or performance of community services.
 3. The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The competent authority payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Competent Authority /Executive Council shall issue direction for, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
 - a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.
11. Action against frivolous complaint – To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to made and published within Central University of Gujarat. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be employee and as per sub-regulation (2) of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

Ordinance No. 26**MEDIUM OF INSTRUCTION AND CONDUCT OF EXAMINATIONS****As stipulated under section (c)(g) of the University Act**

1.
 - a) The medium of instruction in respect of all courses conducted in the Schools, Centres and departments admitted to the privileges of the University shall be English, except in cases of studies/research in Languages.
 - b) In order to ensure that no student is deprived of Higher Education due to language limitation, the University will ensure instruction in the language applicable to the state, provided teachers proficient in the language are available.
2. Examinations of the University, other than the doctorate examination shall be open to regular and eligible students, i.e. such students who have undergone a regular course of study in the University for a period specified for that course of study after fulfilling the minimum attendance and credit requirements as laid down by the University.

3. All examinations of the University (except entrance examinations) shall be conducted at headquarters (place of university.....) through internal assessment by the faculty members concerned. The format and timing of sessional evaluation and the format and timing of the end-semester examinations shall be decided by the School Board. Provided however that all end-semester examinations for different Centres in a School shall normally be conducted in a commonly agreed time frame within the semester.
 1. The format of the entrance examination shall be decided by the Schools concerned and same approved at the School Board. The Entrance Examination shall be held at headquarters and other such places as specified and approved by the university from time to time.
 2. Provided further that the Chairperson of Centre concerned shall prepare the question bank for the entrance examinations to be forwarded to the Controller of Examinations through the Dean of the School concerned. The Controller of Examinations shall set the question paper from the question banks received in confidential manner and conduct the entrance examination.
4. Question papers of all examinations shall be set and answered in English language subject to the following conditions:
 1. Question papers of all examinations in languages shall be set and answered in the respective languages.
 2. Provided that candidates appearing at an examination in languages other than English may be permitted to answer a part of the question paper in English and the rest in the language concerned.

DISCIPLINE AMONG STUDENTS IN UNIVERSITY EXAMINATIONS

i. ONLINE ENTRANCE EXAMINATIONS

1. The candidates are required to be present at the examination venue at least one hour prior to the scheduled time of examination.
2. Each candidate must show his Admit Card along with the Institute issued Identity Card or other photo I-Cards for admission to the Examination Hall before entering the same and also shall produce these, on demand to the Centre-In-Charge or his authorized representative.
Other Photo Identity cards are:-
 - a) Pan card
 - b) Passport
 - c) Driving License
 - d) Voter Identification card
3. If any candidate fails to carry the above mentioned photo identity proof, then he/ she will be not be allowed to appear for the exam.
4. On arrival at the designated examination center on the examination date, the Invigilator would verify the hall ticket and the identity proof of the candidate and then allow access to examination terminal.
5. Candidates having identity mismatch will be disallowed.
6. Only bonafide candidates are allowed in the exam centre during the time slot allotted.
7. Personal belongings including mobile phones shall be kept outside the examination room at candidate's own risk. The candidates are advised not to bring valuables and any other personal belongings of high value while coming for the examinations and the examination center shall not be responsible in case the item is/ are lost or a theft occurs of such items which are brought to the examination centre.
8. Candidates are not allowed to access any unauthorized software/program during the examination.
9. Candidates to maintain complete silence during the examination & communication in any form between candidates or with outsiders is not permitted and it will be treated as malpractice.
10. Candidates are allowed to use only mouse during the examination.

11. Candidates should not attempt to download and/ or print the Question paper else it shall be treated as usage of unfair means.
12. Candidate should not impersonate others or allow others to impersonate him/her in the examination.
13. A candidate found using any unfair means including use of mobile phones or in possession of any incriminating material during the examination shall be expelled from the examination hall and his/her examination would be cancelled.
14. Candidates are not allowed to smoke or eat in the examination hall.
15. Rough sheet (if required) shall be provided to the candidates for carrying out rough workings during the examination. This sheet needs to be returned to the Invigilator before leaving the examination venue.
16. No candidate shall be permitted to leave the Examination Hall/Room until the expiry of one hour from starting of the examination.
17. Candidates shall not be permitted to leave the examination hall for usage of toilets or for any other purpose once they start appearing for the examination.
18. Candidates shall bring their own pen, pencil and mathematical tables, as required and applicable.
19. Candidates are allowed to use their own battery operated non-programmable calculators in the Examination Hall.
20. Failure by candidate to observe any of the instructions mentioned herein or use of any unfair means during the continuance of his / her examination will render the candidate liable to disqualification from the examination or other penalty as determined by
21. Usage of calculators on Exam PCs will not be allowed.
22. Candidates must sign the Attendance Log on each day and for each paper in which he / she are appearing. In no event should a candidate leave the Examination Hall without signing the Attendance Log. The paper(s) without the candidate's signature in the Attendance Log shall be liable to cancellation.
23. The answer papers of the candidates, who change their allotted seats or any other documents at the Examination Hall, are liable to be cancelled.
24. Any candidate bringing any books, papers, notes etc. inside the Examination Hall (Except his/her Admit Slip, Identity Card and Time Table of examination) or using any other unfair means at the examination shall be expelled from the room by the Centre-In-Charge and such matter shall be reported to the Secretary, Examination Committee for further action which the Council may consider necessary.
25. Use as well as physical possession of Pager, Mobile Phone, Digital Diary and other electronic gadgets/device, in any form is strictly prohibited. Any candidate found in possession of above gadgets during the exam will be dealt with under the clause "resorting to adoption of unfair means in the examination" and the result of such candidates will be liable to be cancelled by the Institute.
26. ROUGH WORKS is to be done on the specified pages given by the Institute Candidate should write his/her Roll No. on the page given for ROUGH WORKS.
27. With regard to conduct of examination, the decision of Centre In- Charge shall be final and binding.
28. Resorting to unfair means or trying to influence in any way for examination results shall be considered as a serious offence and any candidate found guilty of such offence on the report of any person duly authorized to conduct the examination, shall be liable to have his name removed from the list of candidates entered for the Examination and may also be further dealt with in such manner as the Council may deem fit.

Candidates can be debarred/ disqualified by the Centre-In-Charge for any of the following reasons.

1. Creating a disturbance.
2. Impersonation - Attempting to take the examination for someone else.
3. Giving or receiving assistance of any kind during the examination & communication in any form between candidates or with outsiders.
4. Smoking or eating in the Examination Hall
5. Attempting to tamper with the operation of the computer or meddling with system.
6. Attempting to use the calculator on the PC

7. Exchanging any papers, documents or any other material with other candidates
8. Leaving the test centre without the permission from the invigilator.
9. Using prohibited aids, items not allowed, such as:
 - o Cell phones, Pagers, Pieces of Paper (except his/her Admit Card, Identity Card and Time Table of Examination), Digital diaries, any other electronic gadgets/device, Watch alarms, Listening devices and recording or photographic devices.
10. Attempting to copy examination questions and /or examination responses (in any format) from the examination centre.
11. Attempting to access any unauthorized software/program during the examination.
12. Failing to follow invigilators directions.
13. Manhandling of invigilators or test centre staff.
14. Resorting to unfair means or trying to influence in any way for examination results shall be considered as a serious offence and any candidate found guilty of such offence on the report of any person duly authorized to conduct the examination, shall be liable to have his/her name removed from the list of candidates entered for the Examination and may also be further dealt with in such manner as the Council may deem fit. Candidates shall maintain silence while appearing for the exam. Any conversation or gesticulating or disturbance or attempt to change seats/question paper in the Examination Hall shall be deemed as unfair means. If a candidate is found indulging in unfair means or impersonating, the candidature of such candidate shall be cancelled. The candidate shall be expelled from the examination by the Centre-in-Charge and such matter shall be reported to the Secretary, Examination Committee for further action which the Council may consider necessary.

Candidate who are debarred/disallowed are liable for debarment from appearing at the examinations for a period as decided by the competent authority.

The Centre-In-Charge is authorized to dismiss the candidate/s from the examination centre for any misconduct by the candidates.

ii. END SEMESTER EXAMINATIONS

1. The time-table of End-Semester Examination shall be notified as per the academic calendar of the University at least fifteen days prior to the commencement of the examinations.
2. The End-Semester Examinations shall be conducted under the general supervision of the Dean/Chairperson, who shall act as School/Centre Superintendent for all examinations of the courses of his/her School/Centre. He/she shall arrange for the invigilation duties from amongst the faculty members and shall be responsible for the fair and orderly conduct of the examination.
3. The paper setter for the End-Semester Examinations shall set the question paper in the prescribed format as approved by school board/centre board and shall submit the same in sealed cover marked as Confidential to the Controller of Examinations, at least fifteen days prior to the commencement of the End Semester Examination;
4. Each examiner shall be required to evaluate the answer scripts of the End-Semester Examination within one week of the date of examinations and shall be required to return to the office of Controller of Examinations, the evaluated answer scripts. The answer scripts shall be kept at COE office for not more than one year, after which record will be destroyed.
5. Dean/Chairperson of the centre concerned, shall forward to the Controller of Examinations, the consolidated list of marks / grades awarded to the students in the sessional evaluation and End-term examination of each course offered by the Centre/School.
6. The End- Semester Examinations results as tabulated by COE office shall screened by a Committee consisting of the head of the Centre and not more than three faculty members appointed by the Dean on the recommendations of the Head of the Centre concerned, followed by approval of the Dean of the School and sent back to COE office.
7. The final results at the end of the sixth and tenth semesters of a 10 semester programme or the end of the 4th semester of a 4 semester programme, i.e. for the award of B.A. (Hons.) and of Master's Degree, would be considered by a Committee of the School consisting of the Dean of the School and Chairperson of the Centres concerned as members and would be approved by the Vice-Chancellor before being announced.

8. A student may seek re-assessment of her/his answer scripts of the end-semester examinations for a particular course within seven working days of the declaration of results in a particular semester. Such re-assessment shall be done by a subject expert to be appointed by the Controller of Examinations on the recommendations of the Deans/ Chairpersons.
9. However, in such cases, where the scores of the second examiner deviates from the first examiner by 20% from total assessed score allotted to that particular course, the Controller of Examinations shall send the answer script for assessment to a third examiner. Further, in such cases, an average score shall be computed based on scores awarded by all the three examiners.

Provided that a student who has applied for reassessment, the marks obtained for such re-assessment will be taken into account to compute the SGPA and the CGPA;

Provided that such re-assessments shall not be sought exceeding 50% of the normal load of courses in a semester;
10. In case a student who could not appear in any component of the Sessional Evaluation of a course due to medical reasons or under other exceptional circumstances (supported by documentary evidence), a separate examination in that component may be arranged by the concerned Centre before the beginning of End Semester Examination.
11. In some special cases the school dean/Centre chairperson can take special measure to conduct re-exam of such student who fails to appear in the End-term exam due to unavoidable reasons such as medical or other similar exigencies. Such decisions to conduct re-exam will be taken on the basis of merit of individual case in consultation with COE office. In such cases valid documentary evidence, e.g. medical certificate, must be verifiable by special committee, constituted by competent authority.
12. Students who have been declared pass in a course (s) shall be allowed to repeat any course in order to improve his/her grade/CGPA along with regular students in corresponding semesters, No separate examination would be arranged for such students.
13. If a student passes in at least 50% of prescribed courses of a semester and 'allowed to continue' he/she shall be allowed to repeat preceding semester along with regular students in the End Semester Examination without putting in any additional attendance. The marks of sessional evaluation of such repeat course as applicable shall however, be carried forward in such cases.
14. If the candidate repeats the course for improving grade/marks, then the reassessed grade/marks shall be taken into account for working out revised award and a revised marks sheet shall be issued to him/her on the surrender of the marks sheet issued earlier. Such reassessed marks will not be counted for the award of Prizes/Medals, Rank and Distinction. If the candidate does not show improvement in the grade/marks, his/her previous grade/marks will continue to be taken into account.
15. Permission to appear at a University examination may be withdrawn before or during the course of the examination for conduct which, in the opinion of the Vice-Chancellor, justifies the candidate's exclusion.
16. If a candidate for any University examination owes any money to the University on any account and fails to pay the money, or has borrowed or has in his possession any book, apparatus, or other property belonging to the University or any kit supplied by the N.C.C./N.S.S./Sports office and fails to return the same, the Vice-Chancellor may withhold or authorise the withholding the result of the candidate till all such money has been paid or such property returned by the candidate.
17. Notwithstanding anything contained expressly or implied in these rules, the Vice-Chancellor may, on being satisfied after such enquiry as he may deem fit, withdraw retrospectively, prior to the publication of the final result of a candidate in a course, the permission granted to such candidate to pursue that course or to appear at a University examination in relation thereto, on any of the following grounds or cancel the result of such candidate, if it comes to his notice, within 4 months of the publication of the said final result that:
 1. The candidate was ineligible for admission to the course but was wrongly admitted, or
 2. The candidate was ineligible to take the examination on account of shortage of attendance but was permitted to do so by some mistake or some other unavoidable reason, or
 3. A discrepancy was found in the attendance record on account of which the candidate who had taken the examination was in fact ineligible, or
 4. A discrepancy was discovered in the award of marks etc. which rendered that result of the candidate liable to be cancelled to his disadvantage.
 5. Any other ground which makes the candidate ineligible to appear in the examination.

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without giving an opportunity to the concerned candidate to show cause against the proposed action and provided further that such action shall be reported to the Academic Council for the confirmation

18. Use of unfair means and Disorderly conduct in examination.

The use of dishonest or unfair means in the examination include:

1. assisting in any manner whatsoever any other candidate in answering the question paper during the course of the examination;
2. taking assistance from any other candidate or any other person or from any book, paper, notes or other material in answering the question paper during the course of the examination;
3. carrying into the examination room any book, paper, notes, or other material whatsoever likely to be used directly or indirectly by the candidate in connection with the examination;
4. smuggling in an answer book or a continuation sheet;
5. taking out or arranging to send out an answer book or its any page or a continuation sheet;
6. replacing or getting replaced an answer book or its any page or continuation sheet during or after the examination;
7. getting impersonated by any person in examination;
8. deliberately disclosing one's identity or making any distinctive mark in the answer book for that purpose;
9. communicating with or talking to any other candidate or unauthorised person in or around the examination room during the course of the examination;
10. communicating or attempting to communicate directly or through a relative, guardian and friend with an examiner with the object of influencing him in the award of marks;

Disorderly conduct in the examination includes:

1. misbehaviour in connection with the examination, with the Superintendent, the Invigilator on duty or the other staff working at the Examination Centre, or with any other candidate, in or around the examination centre, before, during or after the examination hour;
 2. leaving the examination room before the expiry of the stipulated time or without handing over the answer book to the Invigilator-in-charge or without signing the attendance sheet;
 3. intentionally tearing off the answer book or a part thereof or a continuation sheet;
 4. disturbing or disrupting the examination;
 5. inciting others to leave the examination room or to disturb or disrupt the examination;
 6. Carrying into the examination centre any weapon of offence.
19. No candidate shall make use of any dishonest or unfair means or indulge in disorderly conduct in the examination. The candidate may be subjected to a search of his person to recover any incriminating material from him/her by the examination staff on duty.
 20. A candidate found guilty of the use of dishonest or unfair means or disorderly conduct in the examination may be disqualified from passing the examination for which he was a candidate, and may, in addition, be debarred from appearing at any future Examination of the University for a further period to be stated or be expelled from the University and declared not a fit and proper person to be admitted to any further Examination of the University.
 21. Any student of the University who is reported to have indulged in use of unfair means in any aspect of process of evaluation shall be liable for disciplinary action as may be determined by the Standing Committee on unfair means. The Superintendent of the Examination shall report in writing to the Controller of Examinations the case of every student who has indulged in use of unfair means. The reporting authority shall give full facts of the case in his report and forward with it the statements any incriminating material found there.

22. The Standing Committee on unfair means shall provide fair and reasonable opportunity to the student involved to prove his/her innocence before pronouncing him/her guilty.
23. Without prejudice to the powers of the Proctor, the Committee shall be entitled to exercise such powers in respect of disciplinary action against such students as may be delegated to it by the Vice-Chancellor.
24. A student aggrieved against the disciplinary action taken by the Committee shall be entitled to make an appeal to the Vice-Chancellor within 30 days of communicating such action to the student concerned. The decision of the Vice-Chancellor in the matter shall be final and binding.
25. If within four months of the publication of the results, it is brought to the notice of the Controller of Examinations that a candidate was guilty of the use of dishonest or unfair means at the examination in respect of which his result was declared, the provisions of this Ordinance shall apply mutatis mutandis to the case of such a candidate provided that before imposing any penalty including the penalty of cancellation of his result, he shall be given another opportunity, to show cause against the proposed punishment and his explanation, if any, shall be considered by the Academic Council.

iii. AWARD OF GRADES

Computation of SGPA and CGPA

- i. The SGPA is the ratio of sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

$$\text{SGPA} = \frac{(g_1 \times c_1) + (g_2 \times c_2) + \dots}{\text{Total number of credits of courses for which the student has registered in a semester}}$$

Where C_i is the number of credits of the i th course and G_i is the grade point scored by the student in the i th course.

- ii. The CGPA is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$$\text{CGPA} = \frac{(g_1 \times c_1) + (g_2 \times c_2) + \dots}{\text{Total number of credits of courses for which the student has registered upto and including the semester for which cumulative index is required.}}$$

- iii. The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts.

iv. GRADING SYSTEM

The students shall be graded in each course on a 10-point scale, that is:

Letter Grade	Grade Point	Percentage Range
O (Outstanding)	10	≥80.00
A+ (Excellent)	9	70.00-79.99
A (Very Good)	8	60.00-69.99
B+ (Good)	7	55.00-59.99
B (Above Average)	6	50.00-54.99
C (Average)	5	45.00-49.99
P (Pass)	4	40.00-44.99
D (Promoted)	3	30.00-39.99
F (Fail)	0	<30.00
Ab (Absent)	-	-

Note :

1. There shall be no rounding off of SGPA/CGPA/FGPA.
2. The SGPA/CGPA/FGPA obtained by a student is out of a maximum possible 10 points.

Ordinance NO. 27**AWARD OF FELLOWSHIP, SCHOLARSHIPS, STUDENTSHIPS,
MEDALS AND PRIZES
(Sections 6 (1) (xii) and Section 28 (1) (f) of the Act)**

- 1 In order to encourage meritorious and deserving students to pursue Courses of studies and research in the University without great financial strain, the University shall strive to provide for adequate number of Scholarships, Fellowships, Studentship and Free-ships, for financial help, and also provide for award of Medals and Prizes.
- 2 There shall be instituted Scholarships in every subject to be awarded to the students of the University subject to availability of funds. Rules for award of the same will be laid down in the Regulations.
- 3 There shall be fee concession in the form of half and full Free-ships of tuition fee in each School and teaching Centres as per norms of the UGC.
- 4 There shall also be a scheme of merit Scholarship, subject to availability of funds, where the first and second rank holders in every subject will be awarded Scholarship the quantum of which shall be decided by the University from time to time.
- 5 All types of Scholarships and Free ships shall be administered at the University level by a Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.
- 6 There shall be fellowships instituted in the University, subject to availability of funds, for studies or research as approved under the norms of UGC or other funding Agencies from time to time.
- 7 There shall be a scheme to award medals/ prizes to the meritorious students of the University for their best performance in various University Examinations.
- 8 The University shall have power to institute endowments from time to time in accordance with the Central Universities Act 2009.
- 9 There shall also be a Committee constituted by the Vice-Chancellor for administration of each endowment and to implement the objects of the endowment.
- 10 Detailed guidelines shall be framed from time to time by the Executive Council governing the administration of Scholarships, Free-ships, Fellowships, Medals and other such endowments created in the University.

Prof. ALOK KUMAR GUPTA, Registrar (Offg.)

[F. No. ADVT.-III/4/असा./237/18]